


12.18

वकील का पार्थी उपाध्येत / पार्थी व इसके कोमो
उपाध्येत नही / मूल दावा कदम दायरी व
कदम पैरवी में खारिज किया जा चुका
है। कल पार्थी पत्र भी कदम दायरी व
कदम पैरवी में खारिज किया जाया
है। पत्रावली फैसल शुभा हेमर मूल
वाड के साथ संलग्न है।


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)